लिए अभ्यर्थियों के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किए गए हैं । यदि आप निर्वाचन में मत देना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप—

(क) घोषणा-पत्र (प्ररूप 3) भरें और उस पर हस्ताक्षर करें ;

(ख) मतपत्र पर निदेश दिए गए अनुसार मतपत्र (प्ररूप 2) में उस प्रयोजन के लिए उपबंधित स्तंभ में अपना मत चिह्नित करें ;

(ग) मतपत्र को छोटे-से लिफाफे में डाल कर उसे चिपका दें ; और

(घ) अब उस छोटे से लिफाफे और घोषणा-पत्र को बाह्य लिफाफे में जो काफी बड़ा है और जिस पर मेरा पता पहले से ही छपा हुआ है, बंद करें और उसे अपने खर्चे पर डाक द्वारा मेरे पास लौटा दें या उसे स्वयं मेरे कार्यालय में परिदत्त करें जिससे कि यह······19 को ·······बजे के भीतर मेरे पास पहुंच जाए ।

2. मतपत्र को उस दशा में नामंजूर कर दिया जाएगा, यदि—

(क) वह बाह्य लिफाफा, जिसमें मतपत्र वाला लिफाफे और घोषणा-पत्र बंद है, डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है या स्वयं मेरे कार्यालय में परिदत्त नहीं किया जाता है या मतदान बंद होने लिए नियम समय के पश्चात् प्राप्त होता है ; या

(ख) बाह्य लिफाफे में छोटे-से लिफाफे के बाहर कोई घोषणा-पत्र नहीं है ; या

(ग) मतपत्र को मतपत्र वाले लिफाफे के बाहर रखा गया है; और

(घ) घोषणा-पत्र वह नहीं है जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को भेजा गया था ; या

(ङ) एक से अधिक घोषणा-पत्र मतपत्र वाले लिफाफे एक ही और उसी बाह्य लिफाफे में बंद किए गए हैं ; यदि

(च) घोषणा पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं ; या

(छ) मतपत्र अविधिमान्य है ।

3. मतपत्र उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा, यदि—

(1) उस पर रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर या प्रतिरूप हस्ताक्षर नहीं है ; या

(2) मतदाता मतपत्र पर अपना नाम हस [illegible] है या उस पर कोई ऐसा शब्द लिखता है या कोई ऐसा चिह्न बनाता है जिसके द्वारा वह उसके मतपत्र के रूप में पहचानने योग्य हो जाए ; या

(3) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया जाता है ; या

(4) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या भरी जाने वाली संख्या से अधिक हो जाती है ; या

(5) वह प्रयोग किए गए मत की अनिश्चितता के कारण शून्य हो जाता है ।

4. यदि कोई मतदाता किसी मतपत्र को अनवधानता से खराब कर [illegible]ा है तो वह उसे मतदान के लिए नियत की गई तारीख के पन्द्रह दिन [illegible]ले रिटर्निंग आफिसर को लौटा सकता है, जो, यदि उसका उस अनव[illegible]नता के बारे में समाधान हो गया है तो, उसे दूसरा मतपत्र जारी [illegible]रेगा।

5. मतों की संवीक्षा और गणना··············को········ [illegible]मय) बजे प्रारंभ होगी

6. संवीक्षा और गणना के समय, रिटर्निंग आफिसर ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिन्हें वह अपनी सहायता करने के लिए नियुक्त करें, अभ्यर्थियों, या उनके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा ।

रिटर्निंग आफिसर

[सं. 23-116/84 एल. डी. टी. (एल एस एस)]

बी. एस. नाग, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Deptt. of Agri. & Coopn.)

New Delhi, the 23rd April, 1985

G.S.R. 458.—In exercise of the powers conferred by section 84 read with section 4 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Indian Veterinary Council Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(b) 'Form' means a form appended to these rules;

(c) 'register' means Indian Veterinary Practitioners' Register maintained under Chapter III of the Act;

(d) 'Returning Officer' means any officer appointed as such by the Central Government under rule 9 and includes any Assistant Returning Officer so appointed by the Central Government;

(e) 'Secretary' means Secretary of the Council;

(f) 'section means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not separately defined here shall have the same meaning as in the Act.

3. Notification for election to the Council.—For the purpose of electing the members of the Council under clause (g) of sub-section (3) of section 3 the Central Government shall, by a notification published in Gazette of India, call upon the persons enrolled in the Register to elect the said members in accordance with the provisions of these rules.

4. Preparation of the roll.—(1) As soon as may be after the notification under rule 3 is issued the Secretary shall prepare the roll which shall contain the name of every person whose name is entered in the register.

(2) The names of the electors shall be arranged in the order in which they are entered in the register.

5. Publication of the roll in draft.—The Secretary shall publish the roll prepared under rule 4 in draft by making a copy thereof available for inspection by displaying in the offices of all State Veterinary Councils and the Veterinary Council of India.

6. Period for lodging claims and objections.—Every claim for inclusion of a name in the roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a period of fifteen days from the date of publication of the roll in draft under rule 5.

7. Form of claim and objection and the manner of their disposal.—(1) Every claim shall be signed by the person who requires his name to be included in the roll.